

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा

मुकाम : बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी




अप्रार्थी

..... पत्रावली बनाम गालिया
.....

किस्म मुकदमा-(प्रार्थना पत्र) 20 प्रकरण संख्या- 20/2019/20

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 10-10-2019 | <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी श्री <u>श्री. पत्रावली</u> पिता <u>श्री. रंजु</u> जाति <u>पटेल</u> निवासी <u>शिवपुरा बांसवाड़ा</u> द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा <u>53, 2019</u> विरुद्ध अप्रार्थीगण श्री <u>गालिया</u> पिता <u>वालेडेग</u> जाति <u>भाल</u> निवासी <u>भाचा लक्ष्मीपुरा</u> के पेश किया गया। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक <u>30-12-19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा</p> | |
| 30-12-19 | <p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगणों के अधिनियम के लक्षित कंड कोटे नहीं है। पत्रावली पेश के अधिनियम के दिनांक 2019 को पेश हो।</p> | |
| 22-1-20 | <p>पत्रावली पेश हुई अधिनियम P.O. साहब के अधिनियम लक्षित धारा के अधिनियम पत्रावली पेश के अधिनियम के अधिनियम 19-02-20 को पेश हो के अधिनियम</p> | |
| 15/1/20 | <p>पत्रावली पेश जारी के अधिनियम के अधिनियम लक्षित धारा के अधिनियम पत्रावली पेश के अधिनियम</p> | <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा</p> |



| <p>तारीख हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p> |
|-----------------------|---|---|
| <p>12.11.21</p> | <p>पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में... पदाकारान् अनु... समझाईश नहीं... संबन्धित न्याय...   राष्ट्रीय लोक अदालत</p> | <p>6.12.21 को पेश</p> |
| <p>1.12.22</p> | <p>पत्रावली पेश / वदुलाल उप... पत्रावली वास्ते वकालत दिनांक 14.12.2022 को पेश</p> | <p></p> |
| <p>14.12.22</p> | <p>पत्रावली पेश हुमी। अधिकारता उपपु पक्ष उपलब्ध कार्ये। सामग्री डिफेंडर कहत हुमी गयी। अधिकारता प्रतिवादी ने प्रपि जिसे डिफेंडर के अडवा कानि डिफेंडर जारी काने हेतु सहकारिते व्यक्त की। उक्तानुसार सहकारिते बाद हम कोइला डिफेंडर काना उचित समझते हैं। डिफेंडर पक्ष डिफेंडर पक्ष से लिखा जाका शांतिवम है। पत्रावली केवल पुनार से नम्बर से वकालत जका राबिले फर है। अंत्य से इसलात पुनार वकालत -प</p> | <p>उपलब्ध डिफेंडर की रिपोर्ट से लक्ष्य है। </p> |

निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा

प्रकरण संख्या- 20 / 2019

दायर दिनांक-18 / 10 / 2019

उनवान

1. श्रीमती पार्वती पत्नी श्री रकु जाति पटेल निवासी शिवपुरा तहसील बांसवाडा (राज.)
(वादी)

बनाम

1. श्री गलिया पिता वालहेंग जाति भील निवासी माचा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री सर्वजीत सिंह पिता श्री तोतासिंह जाति सिख निवासी भगतसिंह कॉलोनी तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)
3. श्रीमती जमनी बेवा श्री देवा पटेल जाति पटेल निवासी शिवपुरा तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)
4. श्रीमती रती पत्नी श्री हिरा पटेल जाति पटेल निवासी शिवपुरा तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)
5. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार बांसवाडा।

(प्रतिवादीगण)

उपस्थिति

1. श्री हेमेंद्र जैन
2. श्री हितेश शर्मा

अधिवक्ता वादी
अधिवक्ता प्रतिवादी (1)

वाद बाबत् बंटवारा अन्तर्गत धारा-53, 209 आर.टी एक्ट

निर्णय

दिनांक:-14.12.22

न्यायालय हाजा से जारी आदेश प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.02.22 की पालना रिपोर्ट तहसीलदार बांसवाडा के पत्रांक राजस्व/2022/529 दिनांक 28.04.22 को दिनांक 20.05.22 को पेश हुयी जो शामिल मिसल की जाकर बहस पर मुकर्रर की गयी। दिनांक 26.05.22 प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर बहस हेतु समय चाहा गया जो प्रदान किया गया। अधिवक्ता वादी की प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी।


दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट को ही अंतिम डिक्री के रूप में आदेश फरमाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी श्री हितेश शर्मा ने प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु सहमति व्यक्त की।

बाद सहमति हम फाइनल डिक्री करना उचित समझते है। प्रारम्भिक डिक्री को ही अंतिम डिक्री के रूप में निर्णित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

अंतिम ड्रिंकी पर्चा जारी हो। अंतिम ड्रिंकी मय प्राथमिकी ड्रिंकी पालना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति राजस्व रिकॉर्ड में अंकन बाबत तहसीलदार बांसवाडा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी,
बांसवाडा

३५

३५

३५

३५

३५

३५

३५

३५

डिक्री व मुकदमे की इब्ताजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाडा व इजलास : प्रकाश चन्द्र रेगर(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 20/2019

उनवान मुकदमा

1. श्रीमती पार्वती पत्नी श्री रकु जाति पटेल निवासी शिवपुरा तहसील बांसवाडा (राज.)
(वादी)

बनाम

1. श्री गलिया पिता वालहेंग जाति भील निवासी माचा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री सर्वजीत सिंह पिता श्री तोतासिंह जाति सिख निवासी भगतसिंह कॉलोनी तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)
3. श्रीमती जमनी बेवा श्री देवा पटेल जाति पटेल निवासी शिवपुरा तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)
4. श्रीमती रती पत्नी श्री हिरा पटेल जाति पटेल निवासी शिवपुरा तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)
5. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार बांसवाडा।

(प्रतिवादीगण)

वाद बाबत् बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 14/12/2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। बाद सहमति प्रतिवादी प्रारम्भिक डिक्री को अंतिम डिक्री के रूप में निर्णित किया जाता है।

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिंग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 14.12.22 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)
(प्रकाश चन्द्र रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

| मुदई | रूपया पैसा | मुदवायलह | रूपया पैसा |
|--------------------|------------|---------------------|------------|
| स्टाप की अरजी दावा | शून्य | स्टाम्प वकालतनामा | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य |
| स्टाम्प वहज सबुत | शून्य | मेहनतनामा वकील | शून्य |
| मेहनतनामा वकील | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | बबत इजराय हुक्मनामा | शून्य |

| | | | |
|---------------------|-------|---------|-------|
| बबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | मुतफरीक | शून्य |
| मुतफरीक | शून्य | | शून्य |
| कुल | शून्य | कुल | शून्य |

14/12/20
मुतफरीक अधिकारी
बां ब्रासवाडा